भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 536

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में गंगा अपरदन परियोजना

536. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में गंगा अपरदन परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई; और

(ग) गंगा नदी के अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संघ सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र कटाव-रोधी, कार्यों आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करते हुए □□वीं और □□□वीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया था। जिसे बाद में, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए □बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)□ के रूप में जारी रखा गया और आगे वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान विस्तारित किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार को एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यों को शुरू करने के लिए 1051.96 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसमें से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उसने अब तक, 1047.52 करोड़ रूपये राशि का उपयोग किया गया है। अब तक, पश्चिम बंगाल सरकार को एफएमबीएपी योजना के नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत, 237.925 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसमें से, 230.145 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नादीया जिला में गंगा-पदमा नदी द्वारा होने वाले भू-कटाव की समस्या का सामना करने के लिए एक एकीकृत योजना हेतु संयुक्त तकनीकी अध्ययन करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के विभाग से सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई है।

*****